

नम्बर  
अहकाम  
जो इस  
हुकम  
में जारी  
हुए

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	---

20.8.23 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासन अधिकारी महोदय दारे/ अघकाश/अन्य राजकार्य में तारीफ रखते हैं। पत्रावली दि 21.8.23 को पेश हो

21.8.23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपो ही वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वरिष्ठ तथ्यों की दोहराते हुए खसरा सं. 1251 व 1279 वाले ग्राम देई में लक्ष्मण आठरामकरण के स्थान पर लक्ष्मण आठ आगोता जमाबंदी में दर्ज करने व संशोधन करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम देई के खाता सं. 1295 पुराना 1239 के खसरा सं. 1251 रकबा 0.2184 है एवं श्रमि खसरा सं. 1279/1 रकबा 1.4481 कुल कित 2 कुल रकबा 1.6665 है। क्रेटर श्रमि लक्ष्मण पुत्र रामकरण जाति मीना सा. लीलदा खातेदार दर्ज रिमांड ही मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का जेसून लक्ष्मण 50 वर्षी पूर्व आगोता के गौद गया था तथा लक्ष्मण का वास्तविक पिता रामकरण था / तथा गौद पिता आगोता ही।

हमने प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र, उपर्युक्त रिमांड दस्तावेज एवं तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र LR Act की धारा 136 व 131 व 151 CPC के तहत



*(Signature)*

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या आह्वान हुकम की में जारी हुए
	<p>           अस्तुत किया गया है। राजस्थान            LR Act की धारा 131 नक्शा/हरमीम            सम्बन्धित भूटियों के संशोधन एवं            धारा 136 के तहत रिकार्ड में हुई            भूटियों को संशोधित किये जाने के            सम्बन्ध में है। प्राचीन अपने प्रार्थना            पत्र में गौदपिता का नाम परिवर्तन            करवाना (इन्द्राज करवाना) चाहता है,            जो राजस्थान LR Act की धारा            131 एवं 136 के तहत मन्टेनेबल            नहीं है। अतः प्राचीन का प्रार्थना            पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 LR            Act अस्वीकार किया जाता है।            निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया            गया। पत्रावली बाद तकमील दायित्व            दफ्तर है।         </p>	

